न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

14.8.25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22.8.25 को पेश हो।

.09.2025

अभिभाषक संघ श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्व व न्यायिक अदालतों में कार्य स्थगन करने पर निर्धारित पेशी दिनांक 22.08.2025 को इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित एंव वकील अप्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में सरकारी पैरोकार तहसीलदार द्वारा एतराज प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किये जाने से वकील अप्रार्थीगण ने आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र दरख्वास्त प्रारम्भिक आपत्ति व मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र दरख्वास्त प्रारम्भिक आपत्ति व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर. एक्ट पत्रावली दिनांक 08.10.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

08.10.2025

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र दरख्वास्त प्रारम्भिक आपत्ति व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट हेतु पेश हुई। प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। [illegible] में वकील अप्रार्थीगण ने एतराज प्रार्थना [illegible] बहस अवगत कराया कि भूमि [illegible] 0.56 हैक्टर तन् ग्राम जलालपुर में प्रार्थी का शामलाती 1/2 — 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी की अन्य निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 164/724 रकबा 0.3100 हैक्टर तन् ग्राम जलालपुर में प्रार्थी की भूमियों में मौके पर न तो कोई रास्ता रहा है तथा ना ही वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम ...

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तामील हुक्म	दि. ... / 2022
	है। इसके बावजूद भी पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा मनमर्जी से प्रचलित रास्ता होने की रिपोर्ट तैयार करवाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में न्यायालय आदेश से तरमीम करवा ली गई। जिसके विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील संख्या 13 / 2021 पेश कर निर्णय दिनांक 7.12.2021 को अपील स्वीकार कर प्रकरण को विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया है। जिसमें राजस्व अधिकारी / राजस्व कर्मचारी से मौके की वास्तविक रिपोर्ट मंगवाई जाकर हेतु एतराज प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रचलित रास्ते को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। वही सरकारी पैरोकार तहसीलदार ने अवगत कराया कि भूमि खसरा नम्बर 113, 162, 164, 164 / 724 तन् ग्राम जलालपुर में प्रश्नगत प्रचलित रास्ता का प्रस्ताव पटवारी हल्का सिमारला जागीर व भू.अ.नि. से प्राप्त होने पर प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू होने से इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2018 द्वारा नामान्तकरण गै. मु. रास्ता का दर्ज हो चुका है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 737 / 164, 739 / 164, 735 / 162 में से गै० मु० रास्ता मौके पर प्रचलित है तथा खसरा नम्बर 732 / 113 में गै० मु० रास्ता को खातेदारों द्वारा वर्तमान में बाड़ लगाकर मौके पर बन्द कर दिया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने एतराज प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाये जाने एवं विविध प्रचलित रास्ता को स्वीकार किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। हमने सरकारी पैरोकार व वकील अप्रार्थीगण की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ... एल.आर.एक्ट व एतराज प्रार्थना पत्र पर ... पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात ... किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्व ग्राम जलालपुर पटवार हल्का सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 0.56 हैक्टर में से 0.0250 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 1.45 हैक्टर में से 0.06 हैक्टर,

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम बाबूलाल

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

वि.प्र. पत्र

मु. नं. 32/2022

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खसरा नम्बर 164 रकबा 2.67 हैक्टर में से 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 164/724 रकबा 0.31 हैक्टर में से 0.0150 हैक्टर में से प्रचलित रास्ता जो मौके पर आवागमन हेतु चालू होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ में काम आने तथा मौके पर आवागमन हेतु चालू होना गुगल मैप से प्रमाणित होने पर प्रचलित रास्ता के प्रस्ताव पटवारी हल्का व भू.अ. नि. की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को भिजवाई जाने पर न्यायालय द्वारा प्रचलित रास्ता के आदेश जारी किये गये है। उक्त पारित निर्णय के विरूद्ध अंप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील दायर करने पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2021 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 113 तथा खसरा नम्बर 164/724 में गै. मु. रास्ते के लिए दर्ज की गई भूमि की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण में प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किये जाने पर प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाकर सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिया गया तथा प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रास्ते की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में पुनः जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपने जवाब के साथ मौका फर्द रिपोर्ट दिनांकित 05.06.2025 में वर्तमान समय में खसरा नम्बर 737/164, 739/164 एंव 735/162 में गै0 मु0 रास्ता मौके पर प्रचलित होने तथा खसरा नम्बर 732/113 में गै.मु. रास्ता ... होने बाबत अवगत कराया है। ... खसरा नम्बर 737/164, 739/164, 735/162 व 732/113 से गुजरने तथा खसरा नम्बर 732/113 में उक्त खसरे के खातेदारों द्वारा वर्तमान समय में बाड़ लगाकर बंद कर दिये जाने बाबत पड़ौसी खातेदारान् के द्वारा मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर अंकित किये गये है। जिससे उक्त रास्ता तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा इस न्यायालय को

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	तत्समय प्रस्ताव भिजवाने समय मौके पर चालू होकर सार्वजनिक उपयोग में आना प्रकट होता है। जिसे बाद में खसरा नम्बर 732/113 के सम्बन्धित खातेदारान द्वारा बन्द किया जाना प्रकट होता है। उक्त प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान को न्यायालय द्वारा समुचित सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पड़ौसी खातेदारान से पूछताछ एवं मौका निरीक्षण के अनुसार तैयार मौका फर्द निरीक्षण से अपार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 732/113 में तत्समय चालू रास्ते को वर्तमान में बाड़ लगाकर बन्द किया जाना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में वकील अपार्थीगण द्वारा प्रस्तुत एतराज प्रार्थना पत्र सारहीन होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के तहत खसरा नम्बर 113 व 732/113 के सन्दर्भ में भिजवाये गये मूल प्रस्ताव में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2018 को यथावत रखते हुए ग्राम जगन्नाथपुर पटवार हल्का रिगारजा जागीर तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 113 तथा 164/724 में से मौजूद प्रचलित रास्ता जो आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है को यथावत रखा जाता है एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते को वर्तमान में बाड़ लगाकर बन्द किये जाने की स्थिति में उक्त अवरोध को तत्काल प्रभाव से हटाया जाकर उक्त गैर मु. रास्ता को सार्वजनिक उपयोग हेतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड करते हुए सुचारू रूप से आवागमन हेतु चालू स्थिति में किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को [illegible] शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2025.12.10 13:19:15 IST Reason: SelfAttested (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) यह निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)